



F.No. 11044/3(1)/PR-VP/2019/2020/KVS/Estt.1/

Date: 24.09.2020

ज्ञापन

1. वर्ष 2019 और 2020 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर सक्षम अधिकारी ने निम्नलिखित स्नातकोत्तर शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवल- 10 (रु० 56,100- 1,77,500) में उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। उन्हें निम्न विवरण अनुसार उप-प्राचार्य/ प्राचार्य (ग्रेड-II)/ सहायक शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है:-

S.NO	CATEGORY / YEAR WISE PANEL POSITION	SEN. NO. AS ON 1.1.2018	NAME OF PGT	DATE OF BIRTH	KV WHERE PRESENTLY WORKING	KV FOR POSTING AS VICE PRINCIPAL
01	GEN/ MAIN/ 2019	109-A	SH.KEDAR YADAV,	22.02.1963	STEEL PLANT VISAKHAPATNAM	NO.1 GOLCONDA
02	GEN/ MAIN/ 2019	117	SH. U.B. PANDEY	05.09.1960	KV NO.1, JAIPUR	NO.3, JAIPUR
03	GEN/ MAIN/ 2019	119	SH. SANJAY GUPTA	22.12.1964	KV NO.1, JAIPUR	NO.5, JAIPUR (IInd SHIFT)
04	GEN/ MAIN/ 2019	124	MS. POONAM KALIA	09.10.1962	DELHI CANTT-1 (1st SHIFT)	NO.1, DELHI CANTT(IInd Shift)
05	SC/ MAIN/ 2019	564	MS. NEELAM	18.06.1968	SURANUSSI	SECTOR-31, CHANDIGARH
06	GEN/ RESERVE/ 2019	125	DR. GANESH KUMAR	14.09.1963	BSF, KISHANGANJ	DANAPUR (IInd SHIFT)
07	GEN/ MAIN/ 2020	103	SH. ATAUR REHMAN	03.06.1964	ALIGARH	ANDREWSGANJ
08	GEN/ MAIN/ 2020	134	SH.S V R PRASAD	12.10.1961	IISC BENGALURU	MEG CENTRE
09	GEN/ MAIN/ 2020	135	SH. VIBHAKAR SINGH	27.06.1962	DELHI CANTT-2 (1st SHIFT)	KVS(HQ) (As स.शि.अ.)
10	GEN/ MAIN/ 2020	140	MS. PUSHPA VERMA	31.12.1962	ZIET MUMBAI	MANKHURD
11	GEN/ MAIN/ 2020	141	MS. ARCHANA KHANDELWAL	01.08.1961	KV NO1 AFS AGRA	IDGAH
12	GEN/ MAIN/ 2020	145	MS. DEVIKA AWATAR	03.12.1961	HIGH GR. CHANDIGARH	3 BRD CHANDIGARH
13	GEN/ MAIN/ 2020	147	MS. R REMADEVI	28.04.1963	NAD ALUVA	INS DRONACHARYA
14	SC/ MAIN/ 2020	796	MS. KIRAN	18.11.1968	BANTALAB	CU RAHYA SUCHANI
15	SC/ MAIN/ 2020	1011	MS. R. BANUMATHI	03.04.1965	NO.2 MADURAI	NO.2, MADURAI
16	ST/ MAIN/ 2020	1663	SH.AJAY WILSON DHULJI	23.02.1970	HOSHANGABAD	DEWAS
17	GEN/ RESERVE/ 2020	149	MS. KALPANA PUROHIT	06.08.1963	BANSWARA	NO.2, AFS, JODHPUR
18	GEN/ RESERVE/ 2020	150	SH. LALIT KUMAR LODHA	02.10.1960	NO.1, NEEMUCH	PRATAPGARH
19	GEN/ RESERVE/ 2020	151	MS. SUJATHA DEVI	19.09.1961	STEEL PLANT VISHAKHAPATNAM	WALTAIR
20	GEN/ RESERVE/ 2020	152	MS. RAJANI BALA	16.09.1963	NAGROTA	NAGROTA
21	GEN/ RESERVE/ 2020	153	SH. JAGDISH KUMAR VIG	02.08.1964	EBS BABUGARH CANTT	KHICHRIPUR
22	GEN/ RESERVE/ 2020	155	MS. SUDHA SRIVASTAVA	01.07.1963	MUGHALSARAI	BHU VARANASI (IInd SHIFT)


2. यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति केवल ई. मेल द्वारा kvs.estt.1@gmail.com पर भेजें और दिनांक 14.10.2020 तक तैनाती के वर्णित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

वि. विजयवर्मा

3. उप-प्राचार्य के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवल में उनका वेतन निर्धारण एफ.आर 22(I)(a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि में करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते/ करती हैं और / या स्वीकृति देने के बाद निर्धारित तिथि तक नए पद कार्यभार ग्रहण करने में असफल होते/ होती हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और उनके नियुक्ति प्रस्ताव को वापस ले लिया जाएगा। पदोन्नति के इंकार करने पर, इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वे उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुकाबले उपर्युक्त पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे/ देंगी। यदि उनके द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(डॉ.(श्रीमती) वि.विजयालक्ष्मी)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. सहायक आयुक्त (RPS), केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
2. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, संबन्धित संभाग- सूचनार्थ।
3. उपायुक्त(शैक्षिक), केंद्रीय विद्यालय संगठन(मुख्या.), नई दिल्ली। - सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, संबन्धित विद्यालय- सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को इस आदेश के साथ कि वे संबन्धित स्नातकोत्तर शिक्षक के कार्यमुक्ति/ पदभार ग्रहण करने से पूर्व कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति/ पदभार की तिथि आवश्यक कारवाई हेतु इस कार्यालय को केवल ई. मेल द्वारा kvs.estt.1@gmail.com पर सूचित करें।
6. उपायुक्त, ई. डी. पी. प्रकोष्ठ, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस ज्ञापन को केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
7. सहायक आयुक्त (वित्त) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) नई दिल्ली - सूचनार्थ
8. गार्ड फ़ाइल।